झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः– रा0खा0आ0 (विविध) 15 / 2022– 361

प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 25·05·2023

विषयः– FCI से dispatch अनाज लदे ट्रक को JSFC के निर्धारित गोदाम के बदले दूसरे गोदाम में प्राप्त करने के मामलों पर स्थाई रोक लगाने हेतु सुझाव।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि FCI से JSFC गोदाम तक अनाज की ढुलाई कर रहे ट्रकों के JSFC गोदाम नहीं पहुँचने का समाचार प्रकाशित होता रहता है, साथ ही इस आशय की सूचनाएँ आयोग को प्राप्त हुई है। इस प्रकार के मामलों के तुल पकड़ने पर ट्रक को किसी दूसरे गोदाम में receive कराए जाने की सूचना JSFC के पदाधिकारियों द्वारा दी जाती है।

प्रत्येक प्रखण्ड के लिए अनाज की आवश्यक मात्रा पूर्व निर्धारित होती है एवं उसी के अनुरूप पूरे जिला के लिए आवश्यक मात्रा का जिलावार demand MD, JSFC द्वारा FCI को भेजा जाता है। JSFC से प्राप्त अनाज के demand के अनुसार FCI द्वारा RO निर्गत होता है। निर्गत RO में से प्रत्येक प्रखण्ड की आवश्यकता (जिसके आधार पर MD, JSFC द्वारा FCI को demand भेजा गया था) के अनुसार FCI से JSFC के प्रखण्ड गोदाम में अनाज भेजा जाता है। FCI से निकलने के समय ही निर्धारित रहता है कि ट्रक को प्रखण्ड स्तरीय किस गोदाम में जाना है, निर्गत चालान में भी गन्तव्य गोदाम का नाम अंकित रहता है। आहार पोर्टल पर online entry भी की जाती है। Online receiving उसी गोदाम का AGM कर सकता है, जिस गोदाम के लिए FCI से ट्रक dispatch हुआ है।

यदि किसी प्रखण्ड के लिए FCI से निर्गत ट्रक के अनाज को किसी अन्य प्रखण्ड गोदाम में receive कर लिया जाए, तो उस प्रखण्ड में अनाज की कमी होगी, जिसके लिए ट्रक dispatch हुआ है। साथ ही जिस दूसरे प्रखण्ड गोदाम में अनाज receive होगा उसमें online entry नहीं हो सकता। फलस्वरूप उस स्टॉक का क्या किया जाता होगा, स्वतः स्पष्ट है। इसे उदाहरण से ऐसे समझा जा सकता है– यदि "A" प्रखण्ड गोदाम के लिए निर्गत ट्रक "B" प्रखण्ड गोदाम में receive होगा तो "A" प्रखण्ड के लिए अवश्य अनाज कम हो जाएगा एवं "B" में उस अतिरिक्त receive किया गया अनाज "B" गोदाम के online स्टॉक में नहीं दिखेगा। फलस्वरूप FCI से जिस गोदाम के लिए अनाज dispatch होगा, उससे इतर किसी दूसरे गोदाम में receive नहीं किया जा सकता। वस्तुतः FCI से JSFC अनाज की ढुलाई के ट्रक भरे अनाज के कालाबाजारी के मामले में से किसी मामले में तुल पकड़ने पर JSFC के कर्मियों एवं पदाधिकारियों द्वारा कालाबाजारी के मामलों को dilute करने के प्रयास में इस तरह की कार्रवाई प्रतिवेदित किया जाता है। विभाग ने भी इस तथ्य पर कभी गौर नहीं किया कि दूसरे गोदाम में receive होने पर जिस

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261
Website:-www.jharkhandsfc.in

गोदाम में कमी हुई, उसमें कैसे लाभुकों को अनाज मिल पाया। देवघर के मामले में डीलरों के फर्जी dispatch के online entry का मामला प्रकाश में आया है।

हाल के दिनों में JSFC के मांडर प्रखण्ड के लिए FCI से dispatch ट्रक निर्दिष्ट गोदाम नहीं पहुँचने के मामले को तुल पकड़ने पर, प्राप्त सूचनानुसार DM, JSFC राँची द्वारा FIR दर्ज कराया गया था। दिनांक–12.01.2023 को माननीय मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में विभागीय प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि पुलिस द्वारा सूचित किया गया है कि FCI से मांडर गोदाम के लिए dispatch ट्रकों को रातु प्रखण्ड गोदाम में receive किया गया था। इस मामले की भी गहनता से जाँच जरूरी है, साथ ही मांडर प्रखण्ड गोदाम के लिए dispatch ट्रक को receive करने के तथाकथित मामले के लिए AGM रातु के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए।

गिरिडीह जिला में भी इसी प्रकार का मामला प्रकाश में आया है। JSFC द्वारा लगातार की जा रही इस प्रकार की कार्रवाई से कालाबाजारी के मामले से सम्बन्धित आरोपों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। DSO, गिरिडीह द्वारा तो प्रमाणित कालाबाजारी करने वाले को अपने प्रतिवेदन से बचाने का प्रयास किया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया DSO, गिरिडीह के पत्र में अंकित 29 ट्रकों के कालाबाजारी में DSO–सह–DM, JSFC, गिरिडीह की भी भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में आयोग के पत्रांक–303 दिनांक–04.05.2023 से विभाग को कार्रवाई हेतु लिखा भी गया है।

इस प्रकार के कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु आवश्यक है कि FCI से dispatch ट्रक को किसी भी परिस्थिति में निर्दिष्ट गोदाम से इतर किसी दूसरे गोदाम पर receive करने पर स्थाई रोक लगाया जाए। सुझाव होगा कि FCI से JSFC के जिस प्रखण्ड गोदाम के लिए ट्रक dispatch हो, हर हाल में उसी प्रखण्ड गोदाम में ट्रक receive किया जाए एवं इस आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले AGM के विरूद्ध कठोर प्रशासनिक दण्डात्मक कार्रवाई के साथ–साथ भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी भी दर्ज किया जाए।

विश्वासभाजन

24/05/2023

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261
Website:-www.jharkhandsfc.in